

वाद संख्या - 35/2023

द. प्र. सं. 144

अमृत प्रसाद वगैरह

बनाम

प्रथम पक्ष

जोषिंद रजक

द्वितीय पक्ष

आदेश की क्र० सं०
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्यवाही के बारे में
टिप्पणी तारीख
सहित

8/5/23.
आदेश
आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित। प्रश्नागत वाद प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के अनुसार उनके पूर्वजो को प्रश्नागत भूमि खतियान से हासिल है जिसका विवरण निम्नवत है।

ग्राम + मौजा - खेतको, थाना - बगोदर, थाना नं० - 257, खाता नं० - 82, प्लॉट नं० - 2374, रकबा - 28 डी०, चौहदी उ० - बाबू राम सुण्डी, दं० - मुंगिया वो झनिया सुण्डीन पू० - हिरवा नायक पं० - रास्ता वो प्लॉट नं० - 2382 रकबा - 22 डी० चौहदी उ० - मसोमात मुंगिया, दं० - कोकिल सुण्डी, पू० - भातुवा तेली, पं० - रास्ता।

द्वितीय पक्ष के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर बलपूर्वक हडपने की नियत से मकान बना रहे हैं। इस कारण से काफी विवाद हो रहा है।

प्रथम पक्ष के अनुसार वादग्रस्त भूमि खतियानी रैयती जमीन है जो मेरे पूर्वज बैजू सुण्डी वगैरह को हासिल है तथा अंचल कार्यालय बगोदर के मांग पंजी - II, भाग संख्या - 1, पेज नं० - 89, में थानु सुण्डी वगैरह के नाम पर जमाबंदी कायम होकर अधतन सरकारी रसीद निर्गत होता आ रहा है।

आवेदक के द्वारा अपने दावे के समर्थन में खतियानी की छायाप्रति सरकारी मालगूजारी रसीद संख्या - $\frac{JH}{20}$ A090020 वर्ष 2016 का छायाप्रति ऑनलाईन पंजी - II की प्रति दाखिल किया गया।

द्वितीय पक्ष की ओर से लिखित एवं मौखिक रूप से अपना पक्ष रखा गया द्वितीय पक्ष के अनुसार बजरीये केवाला संख्या - 10216 दिनांक 12/09/1966 नारो महतो वगैरह बनाम पनवा


देवी वगैरह, मौजा - खेतको खाता नं० - 82, प्लॉट नं० - 2374, रकबा - 28 डी०, मध्ये रकबा - 19 डी० एवं प्लॉट नं० - 2382, रकबा - 22 डी०, मध्ये रकबा - 17 डी० तथा बजरीये केवाला संख्या - 2054, दिनांक 03/03/1965 को वोकला सुण्डी वल्द हिरो सुण्डी बनाम जगदीश धोबी वगैरह को खाता नं० - 82, प्लॉट नं० - 2374, रकबा - 28 डी०, एवं प्लॉट नं० - 2382, रकबा - 22 डी०, मध्ये $7\frac{1}{3}$ डी० जमीन हासिल है जिसकी जमाबंदी अंचल कार्यालय बगोदर के मांग पंजी- II भाग संख्या - 3 पेज नं० - 116 से जगदीश धोबी के नाम पर निर्गत है।


द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में बजरीये केवाला संख्या - 10216 दिनांक 1209/1966, केवाला संख्या - 2054 दिनांक 03/03/1965 की छायाप्रति, ऑनलाईन मालगुजारी रसीद संख्या - 0382983249 की छायाप्रति दाखिल किया गया।

थाना प्रभारी बगोदर के जॉच प्रतिवेदन एवं उभय पक्षों के द्वारा दाखिल दस्तावेज का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष एक ही भूमि पर अपने स्वामित्व एवं दखल का दावा कर रहे हैं, जिसका निष्पादन इस वाद में नहीं हो सकता है।

अतः उक्त विवेचन के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित।


अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया


अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया